Web: www.cbmathura.org
Email: cbmathura@dgest.org
Phone: 0565-2470178
Fax: 0565-2471623

रक्षा सम्पदा संगठन
Defence Estates Organisation

छावनी परिषद, मथुरा
CANTONMENT BOARD, MATHURA

Old Sister Mess Road, Near Regimental Bazar, Mathura Cantt-281001 (U.P.)

पत्रांक : छा.प.म. / आर.टी.आई–05 / 542 / 415 दिनांक: 10 जुलाई, 2017

श्री छीतर सिंह पुत्र स्व0 श्री मोहन सिंह
म0सं0 ए–105, मोतीकुंज कालोनी, मथुरा।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 6(3) के अन्तर्गत आवेदन का स्थानान्तरण

संदर्भ सेन्ट्रल पब्लिक इंफोरमेशन ऑफिसर, डिफेन्स इस्टेट ऑफिस, आगरा कैण्ट का पत्रांक 1/A/18/CPIO/VII दिनांक 28 जून, 2017 जिसके अन्तर्गत आपके सूचना के मांग के अनुरोध पत्र दिनांक 07.06.2017 को उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अधोहस्ताक्षरी को स्थानान्तरित किया है।

2. आपके उपरोक्त संदर्भित आवेदन में मांगी गयी सूचना का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बिन्दु– 1 हनुमान नगर कालोनी मथुरा छावनी क्षेत्र के सर्वे सं0 221 के अन्तर्गत आती है, सर्वे सं0 221 गजट नोटिफिकेशन सं0 1570/XI-10C दिनांक 20.05.1932 तथा 2095-A/IX-10C-31 दिनांक 29.09.1937 के अन्तर्गत मथुरा छावनी क्षेत्र में सम्मिलित है।

बिन्दु– 2 छावनी क्षेत्र मथुरा स्थित मिलिट्री व सिविल एरिया हनुमान नगर मोतीकुंज के मध्य छावनी परिषद द्वारा कभी कोई सीमा सम्बन्धी विधिवत डिमारकेशन नहीं कराया गया है।

बिन्दु– 3 इस बिन्दु में यह स्पष्ट नहीं है कि किस कालोनी एवं किस अवधि के अवैध निर्माण सम्बन्धी नोटिस की जानकारी मांगी है।

बिन्दु– 4 उक्त क्षेत्र मथुरा छावनी की सीमा में बिन्दु 1 में दिये गये नोटिफिकेशन के द्वारा पहले से ही सम्मिलित है।

बिन्दु– 5 हनुमान नगर मोतीकुंज कालोनियों से जल कर की वसूली नही की जा रही है। उक्त क्षेत्र से गृहकर सन् 1986 एव सफाई कर सन् 2002 से लिया जा रहा है। छावनी अधिनियमों के प्रावधानानुसार उक्त कर लिये जा रहे हैं।

3. उपरोक्त सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपील, यदि कोई है, इसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय के अपीलीय अधिकारी श्री कौशल गौतम, मुख्य अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

देवेन्द्र सिंह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
छावनी परिषद, मथुरा।

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय रक्षा सम्पदा अधिकारी,
आगरा सर्किल आगरा कैन्ट। – उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ।